

Government of Himachal Pradesh  
Department of Language Art & Culture

No.LCD-A(3)-3/2012 Dated Shimla-2, the

2015

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Monument Supervisor, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Language, Art & Culture, Himachal Pradesh, as per “**Annexure-“A”**”, attached to this notification, namely:-

Short title and  
Commencement

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Language, Art & Culture, Sr. Monument Attendant, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2015
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order

Addl. Chief Secretary(LAC)to the  
Govt. of Himachal Pradesh

Endst.No. LCD-A(3)-3/2012 Dated Shimla-2, the

2015

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Administrative Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh.
2. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Nigam Vihar, Shimla-2 w.r.t. his letter No.1-2/80-PSC-Part, dated 25.11.2014.
3. The Director, Language Art & Culture, H.P.
4. The Controller, Printing & Stationery, H.P. for publication in Rajpatra.
5. DLR-cum-Under Secretary(Openion Law)to the Govt. of Himachal Pradesh.
6. 100 Spare copies.

Special Secretary (LAC)to the  
Govt. of Himachal Pradesh

**Annexure-“A”**

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SENIOR MONUMENT ATTENDANT ((NON-GAZETTED) CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF LANGUAGE, ART & CULTURE-HIMACHAL PRADESH.**

1	Name of the Post:	Sr. Monument Attendant
2.	Number of Post(s)	09(Nine)
3.	Classification	Class-III (Non Gazetted)
4.	Scale of Pay	(i) <u>Pay scale for regular incumbents:</u> Pay Band ₹5910-20200+ ₹1900/-Grade Pay  (ii) <u>Emoluments for contract employees</u> ₹7810/- as per details given in Col. No. 15-A.
5.	Whether “Selection “post or “Non selection” post	Non Selection
6.	Age for direct recruitment	Between 18 and 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes /Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as

admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Corporations/Autonomous bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

**NOTES:-**

- (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange, as the case may be.
- (2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7	Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s)	<p>(a) <u>Essential Qualifications:</u> Should have passed 10 +2 or its equivalent from recognized Board of School education /Institution.</p> <p>(b) <u>Desirable Qualification(s):-</u> Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar condition prevailing in the Pradesh.</p>
8.	Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s);	<p>Age: Not Applicable</p> <p>Educational qualification : Not applicable</p>
9.	Period of Probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10.	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be	100% by promotion failing which by direct recruitment on a 'regular' basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in column-15-A and will governed by service

	filled in by various methods.	conditions as specified in the said column.
11	In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/secondment/transfer is to be made	<p>By Promotion from amongst the the Monument Attendants having five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any in the grade:</p> <p>Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at-least one term in Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:</p> <p>Provided further that the proviso (1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less services, left for superannuation:</p> <p>Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/difficult areas shall be transferred to such, areas strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.</p> <p><b>Explanation-I :</b> For the purpose of proviso I supra the “term” in Tribal Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.</p> <p><b>Explanation-II :</b> For the purpose of proviso I supra the Tribal/ Difficult Areas shall be as under:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. District Lahaul &amp; Spiti.</li> <li>2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.</li> <li>3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division.</li> <li>4. Pandrah Bis Pargana Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of Distt. Shimla.</li> <li>5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.</li> <li>6. Bara Bhangal area of Baijnath Sub-Division of Kangra District.</li> <li>7. Distt. Kinnaur.</li> <li>8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circule of Shilai Tehsil in Sirmour District.</li> <li>9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki</li> </ol>

Sub-Tehsil Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog Silh Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1). In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his /her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

**Explanation:**

The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule- 3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of Seniority there- under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc Service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking

	into account adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.	
12.	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition?	As may be constituted by the Government from time to time.
13	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.	As required under the law.
14	Essential requirement for a direct recruitment	A candidate for appointment to any service of post must be a citizen of India.
15	Selection for appointment to post by direct recruitment.	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.
15.A	Selection for appointment to the post by contract recruitment	<p>Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-</p> <p><b><u>(I) Concept :</u></b></p> <p>(a) Under this policy the Senior Monument Attendant, in Department of Language, Art and Culture, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:</p> <p style="text-align: center;">Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.</p> <p>(b) <b><u>POST FALLS WITHIN THE PURVIEW of HPSSSB</u></b></p> <p>The Director, Language and Culture Department after obtaining the approval of the</p>

Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

- (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these R&P Rules.

**(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:-**

The .Senior Monument Attendant appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹.7810/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band plus grade pay). An amount of ₹234/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as per annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

**(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:**

The Director, Language, Art & Culture will be appointing and disciplinary authority.

**(IV) SELECTION PROCESS:**

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency .i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board Hamirpur.

**(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:**

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

**(VI) AGREEMENT:**

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure "B"



appended to these Rules.

**(VII) TERMS AND CONDITIONS:**

- (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount i.e. ₹.7810/- P.M. (Which shall be equal to minimum of the pay band plus Grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs234/- (3% of minimum of the pay band +grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior selection scales etc. will be given.
- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (c) Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 16 weeks maternity leave, 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imburement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

- (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- (e) An official appointed on contract basis who has completed 3 years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a

		<p>certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.</p> <p>(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.</p> <p>(h) Provision of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules &amp; Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.</p>
16	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled casts/Scheduled Tribes/Other Backward classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental examination	Not applicable
18	Power to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with H.P.Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category or person(s) or post(s).

**FORM OF CONTRACT/ AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE SENIOR MONUMENT ATTENDANT AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH DIRECTOR LANGUAGE, ART & CULTURE DEPARTMENT**

-----  
This agreement is made on this ..... day of ..... in the year..... between  
Sh./Smt ..... S/o/D/o  
Shri.....r/o.....

.....Contract  
appointee (here-in-after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through  
Director , Language, Art & Culture, Himachal Pradesh (here -in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has  
agreed to serve as a Senior Monument Attendant on contract basis on the following terms & conditions:-

1.That the FIRST PARTY Shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Senior Monument  
Attendant for a period of one year commencing on day of ..... and ending on the  
day of..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that  
the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last  
working day i.e. on -----and information notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned  
Head of the Department shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is  
satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.

2. The contractual amount of The FIRST PARTY will be Rs.7810/- per month. (which shall be  
equal to minimum of the pay band plus grade pay) an amount of Rs 234/- (3% of the minimum of the pay  
band + grade pay of the post) as per the annual increase in contractual emoluments for the subsequent  
year(s) will be allowed if the contrat is extended beyond one year.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be  
terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular  
incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting in one month service.  
However, the contract appointee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 day's Medical  
Leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc.  
No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated  
upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall  
automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the  
circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical  
grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but  
the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However,  
the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence  
from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/CPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNEES:

1 .....  
.....  
.....

Signature of the First Party

(Name and full address)

2 .....  
.....  
.....

(Name and full address)

Signature of the Second Party

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में वरिष्ठ स्मारक परिचर, वर्ग- III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-“क” के अनुसार भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, वरिष्ठ स्मारक परिचर, वर्ग- III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 है।
  - (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव,  
(भाषा, कला एवं संस्कृति)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

- पृष्ठांकन संख्या: -यथोपरि- तारीख, शिमला-02 , 2015  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
- 1.समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
  - 2.सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, निगम विहार, शिमला-02 को उनके पत्र संख्या: 1-2/80-पीएससी-पार्ट-, दिनांक 25.11.2014
  - 3.निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश।
  - 4.नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन, हिमाचल प्रदेश को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
  - 5.उपविधि परामर्शी-एवं-अवर सचिव (विधि परामर्श) हिमाचल प्रदेश सरकार।
  - 6.100 अतिरिक्त प्रतियां।

विशेष सचिव,  
(भाषा, कला एवं संस्कृति)  
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में वरिष्ठ स्मारक परिचर, वर्ग- III (अराजपत्रित) के पदों के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम: वरिष्ठ स्मारक परिचर,
2. पद (पदों) की संख्या: 09 (नौ)
3. वर्गीकरण: वर्ग- III (अराजपत्रित)
4. वेतनमान: (i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान:  
पे-बैंड रुपये 5910-20200 जमा रुपये 1900/- ग्रेड पे।  
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां:  
स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार रुपये 7810/- प्रतिमास।
5. “चयन” पद अथवा “अचयन” पद अचयन।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु: 18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेसन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

- (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
- (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले (क) अनिवार्य अर्हता(ए):  
 व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और बोर्ड/संस्थान से 10+2 पास होना चाहिए या इसके समतुल्य।  
 अन्य अर्हताएं:
- (ख) वांछित अर्हता (ए):  
 हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं :
- आयु: लागू नहीं।  
 शैक्षिक अर्हताएं: लागू नहीं।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
- दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैंकेण्डमेंट स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता:
- शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या: 15-क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगा और तथाकथित स्तम्भ में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होगा।

11. प्रोन्नति सैंकेण्डमेंट, वरिष्ठ स्मारक परिचरकों में से प्रोन्नति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार जिनसे प्रोन्नति/सैंकेण्डमेंट/ तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित स्थानान्तरण किया जाएगा। करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो:

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्येन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो:

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I – उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में “कार्यकाल” से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II – उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।
3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरु के काठवाड़ और कोरगा पटवार-वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार-वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार-वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्थोल-बगड़ा पटवार-वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़



पटवार-वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार-वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार-वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ बैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित

नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना: जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा: किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन: सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
- 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन: इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधधीन की जाएगी।

(I) संकल्पना:

- (क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में वरिष्ठ

स्मारक परिचर, को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तारण /नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना:

निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां:

संविदा के आधार पर नियुक्त वरिष्ठ

स्मारक परिचर, को रुपये 7810/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड की न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में रुपये 234/- (पद के बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी  
निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति  
नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी  
होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया:  
संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए जो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति :  
जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर

गठित की जाए।

(VI) करार:

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को रुपये 7810/- की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में रुपये 234/- की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान, आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के

आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के

मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबात समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ड) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण का पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/

व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण:

सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा

लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति:

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और



हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति/व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद/पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

वरिष्ठ स्मारक परिचर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप।

यह करार श्री/श्रीमति ..... पुत्र/पुत्री श्री .....  
..... निवासी ....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्रथम पक्षकार” कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् “द्वितीय पक्षकार” कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ..... को किया गया।

“द्वितीय पक्षकार” ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने वरिष्ठ स्मारक परिचर के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार वरिष्ठ स्मारक परिचर के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और ..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात् ..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार को 7810/- रुपए की संविदात्मक रकम (जो पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 234/- रुपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि में रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह

सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण का पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1. ....  
.....  
.....

(नाम व पूरा पता)

2. ....
- .....
- .....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थित में :

1. ....
- .....
- .....

(नाम व पूरा पता)

2. ....
- .....
- .....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)